राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 55/2021 अपील

रामेश्वर पिता पृथ्वीराज शर्मा, बनाम 1. सुखा पिता नन्दा भील निवासी देवरिया का निवासी–बीड का खेडा, तहसील झोपडा, तहसील कोटडी जिला भीलवाड़ा माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थी –रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ निर्णय दिनांक 30.09.2021 प्रकरण संख्या 04/2021

1. श्री रामपाल शर्मा अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री रमेशचन्द्र सारस्वत अधिवक्ता – विपक्षी संख्या 01 की ओर से

निर्णय

दिनांक 19.12.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत तहसीलदार माण्डलगढ के प्रकरण संख्या 04/2021 निर्णय दिनांक 30.09.2021 के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रेस्पोडेन्ट सुखा पुत्र नन्दा भील ने एक प्रार्थनापत्र अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्तर्गत धारा 183बी रा.टि.एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि भील जाति का होकर अनुसूचित जाति का व्यक्ति हैं, अपीलार्थी विपक्षी सवर्ण जाति का हैं। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि ग्राम बीड का खेडा, पटवार हल्का मुकन्दपुरिया, तहसील माण्डलगढ़ में खाता संख्या 91 पर दर्ज आराजी नम्बर 156 रकबा 0.2428 हेक्टेयर भूमि हैं। जिस पर अपीलार्थी ने वर्ष 2020 मे अक्टुबर माह में रेस्पोडेन्ट की खातेदारी भूमि के उत्तरी मेर पर कुछ हिस्से पर हंकाई कर जबरन कब्जा कर लिया। रेस्पोडेन्ट ने विरोध किया और दिनांक 05.07.2021 को उपखण्ड अधिकारी, माण्डलगढ़, भीलवाडा के आदेश से वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढी गिरदावर एवं पटवारी द्वारा कराई, पत्थरगढी के दौरान वादग्रस्त भूमि उत्तरी मेड पर 0.0485 हे. यानि 6 बिस्वा रकबे पर अपीलार्थी/विपक्षी का अवैध कब्जा पाया। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलार्थी को "कब्जा छोडने का निवेदन किया जिससे अपीलार्थी को बेदखल किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र के नोटिस अपीलार्थी को प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने अपनी ओर से जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया और निवेदन किया कि अपीलार्थी का कब्जा हजारी पुत्र उगमलाल

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

पुरोहित से खरीदकर प्राप्त किया और चारो ओर पुरानी डोल व वृक्ष लगे हुए हैं अपीलार्थी का करीब 80 वर्षों से कब्जा हैं दिनांक 05.07.2021 को पत्थरगढी अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे की गई। जिसकी प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी, पत्थरगढी मुस्तकिल मुकाम से जरीब चलाकर नहीं की गई। रेस्पोडेन्ट या उसके पूर्व खातेदारों का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नहीं रहा। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्थरगढी के मौके पर्चे के आधार पर अपीलार्थी का अवैध कब्जा मानते हुए बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जो सर्वथा तथ्यों एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का गिरदावर या अन्य किसी गवाह के बयान नहीं लिये और अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य को नहीं मानने का कोई आधार नहीं होते हुए भी दस्तावेजी साक्ष्य नहीं मानी और मौखिक साक्ष्य का कोई अवसर नही दिया, इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि खरीद की हैं इससे पूर्व उक्त भूमि के खातेदार रामनारायण मीणा थे और रामनारायण मीणा से पहले काना पुत्र हजारी भील थे जिनका कभी भी अपीलार्थी के कब्जेसुदा भू–भाग पर कब्जा नहीं रहा इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र मियाद बाहर होने से खारिज होने योग्य था। क्योंकि किसी भी भूमि का कब्जा लेने की मियाद 12 वर्ष हैं और यहां 80 वर्ष से भी अधिक समय से अपीलार्थी का कब्जा। इसलिए प्रार्थनापत्र मियाद बाहर होते हुए भी अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि की हैं जिससे अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी की खातेदारी भूमि की आराजी नम्बर 150,151,152,153,154,155,158 हैं जो अपीलार्थी की खातेदारी भूमि हैं और अपीलार्थी खाते मे दर्ज अनुसार एवं नक्शे अनुसार भूमि पर काबिज है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश तथ्यों एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त जाने का आदेश पारित फरमाया जावे।

प्रस्तुत अपील न्यायालय में पंजीबद्ध की जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय से रिकार्ड तलब किया गया। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये निवेदन किया कि अपीलार्थी की खातेदारी भूमि की आराजी नम्बर

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

पर्चा अनुसार दौराने पत्थरगढी रामेश्वर शर्मा मौके पर उपस्थित रहा, पर उसने ह
करने से इन्कार किया। जबकि अपीलार्थी ने अपनी अपील मेमों में अंकित किया कि
05.07.2021 को पत्थरगढी अपीलार्थी की अनुपस्थिति में की गयी है। इस प्रकार यह
होता हैं कि अपीलार्थी ने क्लिन हैण्ड से यह अपील प्रस्तुत नही की हैं।

पत्रावली परीक्षण से जाहिर आया कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय
पालना दिनांक 08.12.2021 को की जाकर मौके पर आराजी नं. 156 रकबा 0.0486
वादी सुखा पिता नन्दा भील को कब्जा सुपुर्द कराया गया। जिस पर अपीलार्थी रामे
शर्मा के पुत्र बालमुकुन्द शर्मा के हस्ताक्षर हैं। जबकि दौराने बहस अपीलार्थी अधिवक्ता
उक्त पालना बाबत् अनभिज्ञता प्रकट की हैं। जिससे जाहिर होता हैं कि अपीला
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत अपील के संदर्भ में स्वयं को ही सभी तथ्य ज्ञात नही होने
प्रकरण की वर्तमान स्थिति के संदर्भ में भी गंभीर नही होकर केवल मात्र न्यायालय
समय जाया किया हैं। अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील सारहीन
तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से खारिज होने योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन, तथ्यहीन एवं आधारहीन होने से
खारिज की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 04/2021 निर्णय दिनांक 30.
09.2021 को यथावत रखा जाता हैं। निर्णय की प्रति मय तलबिदा रिकार्ड अधीनस्थ
न्यायालय तहसीलदार माण्डलगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर
खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाड़ा